रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-06032020-216566
CG-MH-E-06032020-216566

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 89] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 3, 2020/फाल्गुन 13, 1941
No. 89] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 3, 2020/PHALGUNA 13, 1941

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

अधिसूचना

मुंबई, 21 फरवरी, 2020

सं. टीएएमपी/24/2014-केपीटी.—महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 49 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण, एतद्वारा दीनदयाल पत्तन न्यास की कांडला भूमि की 'ए' से 'जी' श्रेणी की दर संरचना की वैधता का विस्तार, इसके साथ संलग्न आदेशानुसार, करता है।

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला संख्या टीएएमपी/24/2014-केपीटी

दीनदयाल पत्तन न्यास — **आवेदक**

गणपूर्ति

(i) श्री टी.एस. बालसुब्रनियन, सदस्य (वित्त)

(ii) श्री रजत सच्चर, सदस्य (आर्थिक)

आदेश

(फरवरी, 2020 के 20वें दिन पारित)

यह मामला दीनदयाल पत्तन न्यास (डीपीटी) द्वारा डीपीटी की कांडला भूमि की दर संरचना की वैधता के विस्तार के लिए दायर प्रस्ताव से संबंधित है।

2.1. डीपीटी की कांडला भूमि की 'ए' से 'जी' श्रेणी के पट्टा किराये पिछली बार 13 नवंबर, 2014 के आदेश संख्या टीएएमपी/24/2014-केपीटी द्वारा संशोधित किये गए थे। इस प्राधिकरण द्वारा संशोधित पट्टा किरायों को 01 जनवरी, 2014 से पूर्व व्यापी प्रभाव दिया गया था और पांच वर्षों की अवधि के लिए अर्थात् 31 दिसंबर, 2018 तक की वैधता निर्धारित की गई थी। डीपीटी को हमारे 05 नवंबर, 2018 के पत्र के द्वारा दरों की अधिसूचना में विलंब से बचने के लिए डीपीटी भूमि के किरायों के संशोधन का प्रस्ताव दायर करने का अनुरोध किया गया था। इसके बाद 14 अगस्त, 2019 को अनुस्मारक भी भेजा गया।

2.2. डीपीटी की कांडला भूमि 'ए' से 'जी' श्रेणी के पट्टा किराये की मौजूदा दर सरंचना की वैधता का विस्तार, डीपीटी के अनुरोध पर, पिछली बार 10 अक्तूबर, 2019 के आदेश संख्या टीएएमपी/24/2014-केपीटी द्वारा उसकी समाप्ति की तारीख से 31 दिसम्बर, 2109 तक या डीपीटी द्वारा दायर किये जाने वाले प्रशुल्क प्रस्ताव के आधार पर संशोधित पट्टा किरायों की अधिसूचना के प्रभाव की तारीख तक, जो भी पहले हो, डीपीटी दवारा यथावांछित, किया गया था। उक्त आदेश में, डीपीटी को कांडला भूमि दर सरंचना का संशोधित प्रस्ताव 30 नवम्बर, 2019 तक दायर करने का निदेश दिया गया था।

3.1. डीपीटी ने 17 जनवरी, 2020 के अपने पत्र के द्वारा अब यह निवेदन किया है कि कांडला भूमि तथा गांव वीरा से जंगी, जिसमें कांडला शामिल है, तुना, खरीरोहर और बचाऊ, लवण भूमि छोडकर, की दर सरंचना के संशोधन और आरक्षित/बाजार मूल्य निर्धारण के 01 जनवरी, 2019 से 31 दिसम्बर, 2023 तक के लिये प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष 06 दिसम्बर, 2019 को हुई बैठक में रखा गया था। लेकिन, डीपीटी के न्यासी मंडल ने कहा कि प्रस्ताव पर विस्तार से अध्ययन की जरूरत है और इसे आगामी बैठक तक आस्थगित रखने का सुझाव दिय। तद्नुसार, प्रस्ताव को आस्थागित रखा गया है और इसे डीपीटी के आगामी बोर्ड की आगामी बैठक में चर्चा और सुविचार के लिये रखा जायेग। इसलिये 01 जनवरी 2019 से लागू होने वाली दरों को अंतिम रूप देने में अभी और समय लगेगा। अत: डीपीटी ने मौजूदा दरों की वैधता का विस्तार और 6 महीने के लिये अर्थात 30 जून 2020 तक या डीपीटी द्वारा दायर किये जाने वाले प्रशुल्क प्रस्ताव के आधार पर संशोधित पट्टा किरायों की अधिसूचना के प्रभाव की तारीख तक करने का, जो भी पहले हो, , 2% की वृद्धि के साथ, अनुरोध किया है। डीपीटी ने यह भी अनुरोध किया है कि डीपीटी कांडला भूमि की प्रस्तावित की जाने वाली संशोधित दर सरंचना की दरों को डीपीटी की कांडला भूमि की दर सरंचना के पिछले संशोधन की समाप्ति की तारीख से यानी 01 जनवरी, 2019 से पूर्वव्यापी प्रभाव दिया जायेगा।

3.2. उक्त स्थिति के अनुसार, डीपीटी ने इस प्राधिकरण को मौजूदा दरों की वैधता को 6 महीने के लिए अर्थात् 30 जून, 2019 तक या डीपीटी द्वारा दायर किये जाने वाले प्रशुल्क प्रस्ताव के आधार पर संशोधित पट्टा किरायों की अधिसूचना के प्रभाव की तारीख जो भी पहले हो, तक 2% वृद्धि के साथ, विस्तार करने का अनुरोध किया है।

3.3. चूंकि, कांडला भूमि 'ए' से 'जी' श्रेणी के पट्टा किराये की मौजूदा दर सरंचना कि वैधता 31 दिसम्बर, 2019 को समाप्त हो गयी है और डीपीटी द्वारा किये गये अनुरोध को ध्यान में रखते हुए यह प्राधिकरण कांडला भूमि की 'ए से जी' श्रेणी की मौजूदा दरों की वैधता को और 6 महीने के लिए अर्थात् 30 जून, 2020 तक या डीपीटी द्वारा दायर किये जाने वाले प्रशुल्क प्रस्ताव के आधार पर संशोधित पट्टा किरायों की अधिसूचना के प्रभाव की तारीख तक, जो भी पहले हो, डीपीटी दवारा यथावांछित, विस्तार करता है, ।

4.1. सरकार द्वारा जारी भू-नीति दिशानिर्देश 2014 (जिसके आधार पर डीपीटी की कांडला भूमियों की 'ए से जी' श्रेणियों की दर संरचना नवंबर, 2014 में निर्धारित किये गए थे) अनुबद्ध करते हैं कि इस प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित पट्टा किराये तब तक 2% प्रति वर्ष की वृद्धि के अधीन होंगे जब तक इस प्राधिकरण द्वारा उनका संशोधन नहीं कर दिया जाता। इस प्रधिकरण द्वारा नवंबर 2014 में अनुमोदित आदेश में भी इस संबंध में यह शर्त विशिष्ट रूप से दी गई है। यह एमओएस द्वारा जारी संशोधित भू-नीति दिशानिर्देश 2014 में भी दी गई है। चूंकि वर्तमान दर संरचना को जब तक इस प्राधिकरण द्वारा संशोधित नहीं कर दिया जाता तब तक और सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के

अनुसार 2% की वार्षिक वृद्धि जारी रहेगी और 2% वार्षिक वृद्धि डीपीटी के 'ए से जी' श्रेणियों के लिए कांडला भूमि की दर संरचना में विस्तारित वैधता अवधि में भी लागू रहेगी।

4.2. तथापि, इस संबंध में यह भी नोट किया जाये कि वर्तमान परिदृश्य में निर्वात से बचने के लिए 2% की वार्षिक वृद्धि के साथ वर्तमान पट्टा किरायों का विस्तार एक अंतरिम व्यवस्था है। इस संबंध में डीपीटी द्वारा दायर किये जाने वाले प्रस्ताव के आधार पर 'ए से जी' श्रेणी के लिए कांडला भूमि के लिए निर्धारित किये जाने वाले पट्टा किरायों को पूर्वव्यापी प्रभाव देना पड़ेगा, जैसा डीपीटी ने अनुरोध किया है।

5.1. परिणाम में, और ऊपर दिये गए कारणों से यह प्राधिकरण कांडला भूमि की 'ए से जी' श्रेणी की मौजूदा दरों की वैधता को 6 महीने के लिए अर्थात् 30 जून, 2020 तक या डीपीटी द्वारा दायर किये जाने वाले प्रशुल्क प्रस्ताव के आधार पर संशोधित पट्टा किरायों की अधिसूचना के प्रभाव की तारीख जो भी पहले हो, विस्तार करता है।

5.2. डीपीटी को डीपीटी की कांडला भूमि की दर सरंचना के संशोधन का प्रस्ताव 15 मार्च, 2020 तक दायर करने का निदेश भी दिया जाता है।

टी.एस. बालसुब्रमनियन, सदस्य (वित्त)

[विज्ञापन-III/4/असा./475/19]

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

NOTIFICATION

Mumbai, 21st February 2020

No. TAMP/24/2014-KPT.—In exercise of the powers conferred by Section 49 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Tariff Authority for Major Ports hereby extends the validity of rate structure of Kandla lands for categories 'A to G' of Deendayal Port Trust as in the Order appended hereto.

TARIFF AUTHORITY FOR MAJOR PORTS

Case No.TAMP/24/2014-KPT

Deendayal Port Trust - - - Applicant

(i) Sh. **T. S. Balasubramanium, Member (Finance)**
(ii) Sh. Rajat Sachar, Member, (Economic)

ORDER

(Passed on this 20th day of February 2020)

This case relates to a proposal filed by Deendayal Port Trust (DPT) for extension of the validity of the rate structure for Kandla lands of DPT.

2.1. The lease rental for the Kandla lands for categories 'A to G' of DPT was last revised by this Authority vide Order No.TAMP/24/2014-KPT dated 13 November 2014. The lease rental revised by this Authority was given retrospective effect from 01 January 2014 and valid for a period of five years, i.e. up to 31 December 2018. The DPT was requested vide our letter dated 05 November 2018 to expedite filing of its proposal for revision of rentals of DPT land to avoid delay in notification of rates. This was followed up by reminder letter dated 14 August, 2019.

2.2. The existing rate structure for the Kandla lands for categories 'A to G' of DPT was last extended based on the request of DPT vide Order No.TAMP/24/2014-KPT dated 10 October 2019 from the date of expiry till 31 December, 2019 or date of effect of notification of the revised lease rentals based on the tariff proposal to be filed by the DPT, whichever is earlier as sought by DPT. In the said Order, DPT was directed to file its proposal for revision of rate structure of Kandla land by 30 November 2019. The DPT has, however, not filed the proposal till date.

3.1. The DPT, vide its letter dated 17 January 2020 has now submitted that the proposal for revision of rate structure and fixing of reserve price/market value of Kandla land and land from village Veera to Jungi which includes Kandla, Tuna, Kharirohar and Bachau excluding salt land for the period from 01.01.2019 to 31.12.2023 was placed before Board at its meeting held on 06 December 2019. However, Board of Trustees of

DPT have observed that proposal needed detailed study and suggested to defer the same for next meeting. Accordingly, the proposal was deferred and will be placed before the Board for deliberation and consideration in ensuing Board Meeting of DPT and hence, the finalization of rates applicable w.e.f 01 January 2019 will take some more time, Hence, DPT has requested to extend the validity of existing rates for further 6 months i.e. 30 June 2020 or till the date of effect of notification of revised lease rentals based on tariff proposal to be filled by DPT, whichever is earlier, with 2% escalation. The DPT has requested that the revised rates to be proposed for revision of rate structure of Kandla land of DPT, is to be given retrospective effect from the date of expiry of last revision or rate structure of Kandla land of DPT i.e. 01 January 2019.

3.2. Bringing out the above position, the DPT has requested this Authority to extend the validity of existing rates for further 6 months i.e. till 30 June 2020 or till the date of effect of notification of revised lease rentals based on tariff proposal to be filed by DPT, whichever is earlier, with 2% escalation.

3.3. Since the validity of the rate structure for Kandla lands for categories 'A to G' has expired on 31 December 2019 and in view of the request made by the DPT, this Authority extends the validity of the existing rate structure of the Kandla lands for categories 'A to G' from the date of its expiry till 30 June 2020 or till the date of effect of notification of the revised lease rentals based on the tariff proposal to be filed by the DPT, whichever is earlier as sought by DPT.

4.1. The Land Policy Guidelines of 2014 issued by the Government (based on which the rate structure for Kandla lands for categories 'A to G' of DPT has been fixed in November 2014) stipulates that the lease rentals approved by this Authority shall be escalated by 2% per annum till they are revised by this Authority. The Order approved by this Authority in November 2014 also prescribes a specific condition in this regard. This condition also prevails in the amended Land Policy Guidelines, 2014 issued by the MOS. Since the existing Rate structure already prescribes annual escalation @ 2% in the lease rentals till such time the rates are revised by the Authority and in line with the guidelines issued by the Government, the annual escalation @ 2% will continue to apply during the extended validity period of the rate structure for Kandla lands for categories 'A to G' of DPT.

4.2. However, it is to be noted in this regard that the extension of the existing lease rentals with an annual escalation of 2% is only a provisional arrangement to avoid a vacuum in the current scenario. The lease rentals to be fixed for the Kandla lands for categories 'A to G' based on a proposal filed by the DPT in this regard will have to be given retrospective effect, as requested by the DPT.

5.1. In the result, and for the reasons given above, this Authority extends the validity of the existing rate structure for Kandla lands for categories 'A to G' of DPT from the date of its expiry till 30 June 2020 or date of effect of notification of the revised lease rentals based on the tariff proposal to be filed by the DPT, whichever is earlier.

5.2. The DPT is directed to file its proposal for revision of rate structure for Kandla land by 15 March 2020.

T.S. BALASUBRAMANIAN, Member (Finance)

[Advt.-III/4/Exty./475/19]

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2020.03.06 12:49:29 +05'30'